सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/730 दर्ज तिथिः–26.09.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

2. ग्राम पंचायत नेहरो का वास

......................अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–11.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 110 रकबा 125.4200 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में से 0.8130 है0 पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने एवं साथ ही उक्त खसरा संख्या 110 रकबा 125.4200 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.8130 है0 की क्षतिपूर्ति तहसील गुड़ामालानी के ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 502/392 रकबा 116.2763 है0 किस्म गैर मुमकिन धोरा में से 0.8130 है0 भूमि प्रस्तावित करते हुए एक प्रस्ताव जरिये सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में खसरा संख्या 110 रकबा 125.4200 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में से 0.8130 है0 पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु गोचर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं बदले में क्षतिपूर्ति भूमि तहसील गुड़ामालानी के ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 502/392 रकबा 116.2763 है0 किस्म गैर मुमकिन धोरा में से 0.8130 है0 भूमि गैर मुमकिन गोचर किये जाने का प्रस्ताव

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के पत्रांक 925 दिनांक 25.11.2025 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर को प्रेषित किया गया।

3. तत्पश्चात प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का पत्रांक प. 12(3)(139)राज/2025/4195 दिनांक 08.12.2025 द्वारा आराजी खसरा संख्या 110 रकबा 125.4200 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में से 0.8130 है0 पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही उक्त खसरा संख्या 110 रकबा 125.4200 किस्म गेर मुमकिन गोचर में से 0.8130 है0 की क्षतिपूर्ति तहसील गुड़ामालानी के ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 502/392 रकबा 116.2763 है0 किस्म गैर मुमकिन धोरा में से 0.8130 है0 भूमि गेर मुमकिन गोचर में क्षतिपूर्ति करने का आदेश प्रदान देते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के उपनियम 60 में नवीन उपबन्ध (एच) जोड़े जोने के क्रम राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिूसूचना दिनांक 02.04.2008 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

5. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यद्यित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते को प्रकरण में मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09. 2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या110 रकबा 125.4200 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा नेहरो का वास तहसील गुड़ा[illegible] जिला बाड़मेर में से 0.8130 है0 पर मौके [illegible] कदीमी रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के साथ ही 0.8130 है0 गैर मुमकिन गोचर की क्षतिपूर्ति तहसील गुड़ामालानी के ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 502/392 रकबा 116.2763 है0 किस्म गैर मुमकिन धोरा में से 0.8130 है0 भूमि गेर मुमकिन गोचर में क्षतिपूर्ति करते हुए मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:39 IST
Reason: SelfAttested